


<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज  <b>राकेश सिनली बनाम लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, लूणी)</b>  सू.अ.अपील संख्या 142/2023</p>	<p>नं. व तारीख  अदालत जो  इस हुक्म की  समीक्षा में  करायी हुए</p>
<p>08.08.23</p>	<p>अपीलार्थी राकेश सिनली निवासी ग्राम सिनली, तहसील लूणी, जिला जोधपुर (राज.) ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 10.04.2023 में (1) ग्राम पंचायत सिनली के कार्यकाल का 01 नवम्बर, 2020 से 10 अप्रैल 2023 तक की गयी ग्राम सभा व साधारण सभा में लिए गए प्रस्तावों की रजिस्टर की प्रतिलिपि (2) अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, लूणी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेसपो. पक्ष (उपखण्ड अधिकारी, लूणी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेसपो. पक्ष (उपखण्ड अधिकारी, लूणी) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, लूणी) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">   (हिमान्शु गुप्ता)  जिला कलक्टर जोधपुर  <b>जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.)</b> </p>	<p>नं. व तारीख  अदालत जो  इस हुक्म की  समीक्षा में  करायी हुए</p>